

प्रेषक ,

निदेशक (उच्च शिक्षा), उ० प्र०,
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1- कुलसचिव

समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

3-समस्त प्राचार्य/प्राचार्या राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित
महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश

पत्रांक: डिग्री विकास / 1251-53 / 2020-21 दिनांक : 19.01.2021

विषय:-नवाचार को प्रोत्साहन स्टार्ट-अप नीति के अन्तर्गत इन्क्यूबेटर्स की स्थापना के सम्बन्ध
में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संलग्न शासन के पत्र सं०-167/सत्तर-3-2020-08(36)/2021
दिनांक 19.01.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो नवाचार को प्रोत्साहन स्टार्ट-अप
नीति के अन्तर्गत इन्क्यूबेटर्स की स्थापना के सम्बन्ध में है।

उच्च शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों) में स्टार्ट-अप ईकोसिस्टम
विकसित किये जाने हेतु इन्क्यूबेटर्स की स्थापना भी की जानी अपेक्षित है।

उक्त के संबंध में निर्दिष्ट किया जाता है कि शासन के पत्र में दिये गये निर्देशों का
कड़ाई से अनुपालन किया जाये। समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत
विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में इन्क्यूबेटर्स की स्थापना कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोक्त

भवदीय



डॉ० (हिरेन्द्र प्रताप सिंह)
संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)
कृते-शिक्षा निदेशक (उ० शि०)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृ० सं०-डिग्री विकास/

/ उसी तिथि को

प्रतिलिपि: अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, अशोक
मार्ग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार सूचनाएं एकत्र करके शासन को 04
फरवरी, 04 मार्च एवं 08 अप्रैल 2021 तक उपलब्ध कराएं तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय
को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

डॉ० (हिरेन्द्र प्रताप सिंह)
संयुक्त निदेशक (उच्च शिक्षा)
कृते-शिक्षा निदेशक (उ० शि०)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।